

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) का राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान सरकार (जीओआर) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियाँ करती है, जिनका स्वामित्व, प्रबन्धन एवं नियंत्रण सामान्य जन की ओर से राज्य द्वारा किया जाता है। पीएसयूज सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों में वर्गीकृत हैं। सांविधिक निगम ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो कि विधान मण्डल के विशेष अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। अधिनियम, शक्तियों एवं कर्तव्यों, कार्मिकों को शासित करने हेतु नियमों व विनियमों तथा सरकार के साथ निगम के संबंधों को परिभाषित करता है। सरकारी कम्पनियों से आशय ऐसी कम्पनियों से है, जिसमें कि प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग सरकार (रो) द्वारा धारित हो। इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल होती है। साथ ही, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अनुसार एक कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूँजी का 51 प्रतिशत भाग, सरकार (रो), सरकारी कम्पनियों एवं निगमों जिनका नियंत्रण सरकार के पास है, के किसी संयोजन के पास होता है, को सरकारी कम्पनी की तरह (मानित सरकारी कम्पनी) माना जाता है।

1.2 पीएसयूज अर्थव्यवस्था के पाँच प्रमुख क्षेत्रों यथा ऊर्जा, वित्त, सेवा, ढांचागत एवं अन्य (निर्माण, कृषि व समवर्गी एवं विविध को सम्मिलित करते हुए) में कार्यरत हैं। 31 मार्च 2013 को राज्य के पीएसयूज ने लगभग एक लाख कार्मिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ था। पीएसयूज का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया हुआ है:

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ ¹		सांविधिक निगम		कुल	निवेश ² (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत ³	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	16	-	-	-	16	66477.81
वित्त	3	-	1	-	4	736.85
सेवा	13	-	2	-	15	2542.65
ढांचागत	3	-	-	-	3	882.03
अन्य	8	2	-	-	10	1378.79
योग	43	2	3	-	48	72018.13

31 मार्च 2013 को 48 पीएसयूज थे जिसमें से 46 कार्यरत एवं दो अकार्यरत थे। इनमें से कोई

1 इनमें अनुबन्ध-1 के भाग-क में क्र.सं. क-30, 31, 33 व 42 पर वर्णित चार 619-बी कम्पनियाँ एवं क्र.सं. क-38 पर वर्णित एक कम्पनी धारा-25 के तहत पंजीकृत हैं।


2 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

3 अकार्यरत पीएसयूज वे हैं जिन्होंने अपने क्रिया-कलाप बन्द कर दिये हैं।

भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2012-13 के दौरान तीन⁴ नये पीएसयूज स्थापित किये गये थे जबकि शेखावाटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (कार्यरत पीएसयू) का फरवरी 2013 में निजीकरण हुआ था एवं हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड (अकार्यरत पीएसयू) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के साथ एकीकृत हुई थी।

1.3 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2013 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनकी प्रतिशतता नीचे बाट चार्ट में दर्शाई गई है। पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र पर था, जो कि ₹ 20275.42 करोड़ से 227.87 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 66477.81 करोड़ हो गया।

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)



जवाबदेयता संरचना

1.4 सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के मध्य यथा 30 सितम्बर तक अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न हितधारियों को प्रस्तुत किया जाता है।

4 सितम्बर 2012 में राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड एवं दिसम्बर 2012 में राजस्थान राज्य पावर फायनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड मार्च 2012 में स्थापित की गई थी लेकिन राज्य सरकार से सूचना 2012-13 में प्राप्त हुई थी।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा विभिन्न तरीकों, जैसा कि उनसे सम्बंधित विधान में प्रदत्त है, से होती है। इस प्रकार,

- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है;
- सरकार द्वारा सीएजी की सलाह पर नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम हेतु लेखापरीक्षक है; एवं
- निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित पैनल में से नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राजस्थान वित्त निगम के मामले में लेखापरीक्षक हैं।

सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा

1.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा भी की जाती है। सीएजी द्वारा दो सांविधिक निगमों यथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के संबंध में भी पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

विधान मण्डल एवं सरकार की भूमिका

1.8 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इन पीएसयूज के लेखों की संवीक्षा राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी की जाती है।

1.9 राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता की निगरानी करता है। इसके लिये राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की टिप्पणियों के साथ एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा कि उनसे संबंधित अधिनियमों में वर्णित है, विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

1.10 इन पीएसयूज में राजस्थान सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से है:

- अंशपूँजी एवं ऋण— अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त राजस्थान सरकार पीएसयूज को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- विशेष वित्तीय सहायता— जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से राजस्थान सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- गारण्टीयाँ— पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के पुनर्मुगतान हेतु राजस्थान सरकार गारण्टीयाँ भी देती है।

1.11 31 मार्च 2013 को 48 पीएसयूज (619 बी-कम्पनियों सहित) में नीचे दिये गये


विवरणानुसार कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 72018.13 करोड़ था।

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत	17953.25	52250.36	70203.61	552.54	1249.73	1802.27	72005.88
अकार्यरत	8.89	3.36	12.25	-	-	-	12.25
योग	17962.14	52253.72	70215.86	552.54	1249.73	1802.27	72018.13

राज्य के पीएसयूज में राजकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति **अनुबन्ध-1** में दी गयी है।

1.12 31 मार्च 2013 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.98 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.02 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इसका 25.71 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 74.29 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण थे। निवेश वर्ष 2007-08 में ₹ 21997.39 करोड़ से 227.39 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 72018.13 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।



1.13 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान पूँजी निवेश के साथ-साथ दीर्घावधि ऋण क्रमशः ₹ 12325.55 करोड़ एवं ₹ 37695.19 करोड़ से बढ़ गये। इस अवधि के दौरान निवेश में कुल समग्र वृद्धि ₹ 50020.74 करोड़ थी।

हानियाँ के कारण पूँजी का क्षरण

1.14 राज्य पीएसयूज के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, पूँजी निवेश ₹ 15827.72 करोड़ था एवं इसके समक्ष संचित हानियाँ ₹ 50951.85 करोड़ थी। इससे राज्य पीएसयूज की पूँजी पूर्णरूप से क्षरित होकर ₹ 35124.13 करोड़ की ऋणात्मक निवल सम्पत्ति⁵ में परिवर्तित हो गई थी।

5 निवल सम्पत्ति से आशय है- प्रदत्त पूँजी जोड़े मुक्त संचय घटायें संचित हानियाँ।


पीएसयूज को बजटीय सहायता

1.15 राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के द्वारा पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त निवेश एवं सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार ने 23 पीएसयूज को ₹ 8570.76 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। पीएसयूज के संबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे जावक के साथ ही ऋणों का अपलेखन, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन एवं ब्याज परित्याग के माध्यम से सहायता का विवरण अनुबन्ध-3 में दिया गया है। 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण ⁶	2010-11		2011-12		2012-13	
		पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
1.	अंश पूँजी की जावक	12	1599.89	11	1725.09	14	4648.37
2.	दिये गये ऋण	2	0.39	8	5552.21	7	813.81
3.	अनुदान/अर्थ-साहाय्य	14	1946.54	14	3050.12	13	3108.58
4.	कुल जावक (1+2+3)	20 ⁷	3546.82	18 ⁷	10327.42	23 ⁷	8570.76
5.	अपलिस्त्रित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	1	0.10	-	-
6.	ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	4	1086.25	1	15.65
7.	निर्गमित गारण्टीयाँ	6	24781.66	6	17349.50	7	20209.01
8.	गारण्टी प्रतिबद्धता	8	48088.19	7	57559.34	7	70365.08

1.16 2012-13 को समाप्त छ: वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के संबंध में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया है:



⁶ यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

⁷ यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है अर्थात् पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य।

1.17 उपर्युक्त इंगित करता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2007-08 में ₹ 3256.07 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 8570.76 करोड़ हो गई। 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार ने राजस्थान वित्त नियम के संबंध में ₹ 15.65 करोड़ के ऋणों का पूँजी में परिवर्तन किया था। बजट जावक का मुख्य लाभार्थी ऊर्जा क्षेत्र था जिसने कुल अंश पूँजी जावक (₹ 4648.37 करोड़) का 82.78 प्रतिशत (₹ 3848.00 करोड़) एवं कुल बजटीय जावक (₹ 8570.76 करोड़) का 84.41 प्रतिशत (₹ 7234.21 करोड़) प्राप्त किया।

ऋणों हेतु गारण्टी एवं अदत्त गारण्टी कमीशन

1.18 सरकार ने राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के प्रावधानों के तहत पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के मामले में बिना किसी अपवाद के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन प्रभारित किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2011)।

बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि का रुझान था जो कि 2007-08 में ₹ 18153.83 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 70365.08 करोड़ हो गई जो कि 287.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान पीएसयूज द्वारा देय गारण्टी कमीशन ₹ 345.87 करोड़ था जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 227.41 करोड़ का भुगतान किया गया था।

पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित करने में विफलता

1.19 जैसा कि ऊपर वर्णित है राजस्थान सरकार की पीएसयूज में विशाल वित्तीय हिस्सेदारी है। तथापि हमने पाया कि पीएसयूज/सरकार ने इस निवेश की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित नहीं की थी। मुख्यतः दो क्षेत्रों में चूक थी:

- निवेश के विशुद्ध आकड़े प्रदान करने में;
- वार्षिक लेखे तैयार करने एवं उनकी लेखापरीक्षा करवाने में;

यह चूकें, विधायी वित्तीय नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव सहित व्यापक स्तर पर परोक्ष प्रभाव रखती हैं।

पीएसयूज में निवेश के विशुद्ध आंकड़ों का अभाव

1.20 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा तैयार किये गये एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित राजस्थान सरकार के वित्त लेखे पूँजी, ऋण एवं गारण्टीयों के संबंध में पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार यह आँकड़े वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिये। अन्तर के मामले में संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा इनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2013 की स्थिति को

नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	18032.46	18048.35	15.89
ऋण	3324.75	2388.74	936.01
गारण्टी	71584.26	70365.08	1219.18

1.21 19⁸ पीएसयूज के संबंध में यह अन्तर पाया गया। वित्त लेखों के अनुसार एवं पीएसयूज के लेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं गारण्टी के संबंध में आँकड़ों के अन्तर के बारे में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष समय-समय पर मामला उठाया गया। सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर के समाधान के लिये समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिये।

लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

1.22 कम्पनियों/सांविधिक निगमों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह के मध्य अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये⁹। इस प्रकार 2012-13 के लेखों को 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिये था। इन पीएसयूज द्वारा 30 सितम्बर तक लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	29	37	42	44	46
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	25	27	46	33	59 ¹⁰
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	16	16	25	24	33
4.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	13	21	17	20	13
5.	बकाया लेखों की संख्या	14	28	24	33	21
6.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	9	11	21	9	25
7.	औसत बकाया प्रति पीएसयू (5/1)	0.55	0.76	0.57	0.75	0.46
8.	बकाया की सीमा	एक से दो वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से छ: वर्ष

1.23 30 सितम्बर 2013 तक 46 पीएसयूज में से केवल 33 पीएसयूज ने वर्ष 2012-13 के लिये अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था तथा शेष 13 कार्यरत पीएसयूज के वर्ष 2007-

8 अनुबन्ध 1 के क्र. सं. क-1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 26, 27, 31, 35, 41, बी-1, सी-1 एवं 2.

9 कम्पनियों के मामले में कम्पनी अधिनियम की धारा 166, 210, 230, 619 व 619-बी एवं सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियम के प्रावधान।

10 बाड़मेर लिग्नार्इट स्वनन कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2011-12 के लिये संशोधित लेखे प्रस्तुत किये।

08 से 2012-13 तक की अवधि के लिये 21 लेखे बकाया थे। दो¹¹ कार्यरत पीएसयूज ने 2012-13 के दौरान एक भी लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। साथ ही, वर्ष 2011-12 के दौरान नौ बकाया लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की तुलना में 2012-13 के दौरान 25 बकाया लेखों को अंतिम रूप दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रति पीएसयू औसत बकाया 2011-12 में 0.75 से घटकर 2012-13 में 0.46 हो गया।

1.24 बकाया लेखों वाले 13 कार्यरत पीएसयूज में से छः पीएसयूज में राजस्थान सरकार ने ₹ 5501.41 करोड़ (पैंजी: ₹ 2486.91 करोड़, ऋण: ₹ 3004.97 करोड़, अर्थ-साहाय्य: ₹ 9.53 करोड़) की सहायता इन वर्षों के दौरान प्रदान की जिसका विवरण अनुबन्ध-4 में दिया गया है।

सांविधिक निगमों द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.25 तीन सांविधिक निगमों ने 2012-13 के उनके नवीनतम लेखों को 30 सितम्बर 2013 तक अग्रेषित किया। दो¹² सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (सितम्बर 2013)।

1.26 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। 2011-12 की अवधि हेतु इन सांविधिक निगमों के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में फरवरी से मार्च 2013 के दौरान प्रस्तुत¹³ की गयी थी।

प्रशासनिक विभागों की विफलता

1.27 यह प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि वे इन उपक्रमों की गतिविधियों की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि लेखे निर्धारित अवधि में अंतिम रूप दिये जाकर इन पीएसयूज द्वारा अंगीकृत किये गये हैं।

1.28 चूंकि लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया की स्थिति चिंताजनक थी, सीएजी ने मामले को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष उठाया (सितम्बर 2011) एवं जवाबदेयता के बाध्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी मुद्दों सहित विशेष व्यवस्थाएं करने का सुझाव दिया। जवाब में एमसीए ने एक योजना लागू की (नवम्बर 2011) जिसमें पिछले कई वर्षों में लेखों में बकाया वाले पीएसयूज को नवीनतम दो वर्षों के लेखों को अंतिम रूप देने एवं पाँच वर्षों में बकाया को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की।

1.29 महालेखाकार ने भी मुख्य सचिव/प्रशासनिक विभागों/पीएसयूज के प्रबन्धन, जिनके लेखे बकाया थे, को सम्बोधित किया (जुलाई 2013)। लेखों के बकाया के समापन की प्रगति पर अनुच्छेद 1.22 एवं 1.23 में चर्चा की गयी है।

11 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड।

12. अनुबन्ध 2 के क्र.सं. बी-1 एवं बी-2 पर पीएसयूज।

13. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (22 फरवरी 2013), राजस्थान वित्त निगम (7 मार्च 2013) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (20 मार्च 2013)।

लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किया जाने के प्रभाव

1.30 30 सितम्बर तक लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया जाना कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

1.31 लेखों एवं तत्पश्चात् उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं वे लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया था, प्राप्त किया जा सका तथा इस प्रकार, सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका की जांच के दायरे से बाहर रहा।

1.32 साथ ही, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ धोखा एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2012-13 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका। तथापि, नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार राज्य जीडीपी में पीएसयूज का योगदान सात प्रतिशत था। साथ ही, वर्ष 2012-13 के लिये इन पीएसयूज के संचालन के परिणाम एवं राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

1.33 सरकार द्वारा निगरानी एवं समय पर लेखों के अन्तिमीकरण के साथ बकाया के समापन पर विशेष ध्यान तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिये।

पीएसयूज का निष्पादन

निष्पादन आंकलन में समस्याएँ

1.34 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया के कारण पीएसयूज का वास्तविक निष्पादन का आंकलन नहीं किया जा सका था। अतः पीएसयूज का निष्पादन के आंकलन उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के आधार पर किया गया था। वर्ष 2012-13 के लेखों के अन्तिमीकरण के अभाव में प्रमुख पीएसयूज यथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

लेखों के अन्तिमीकरण पर आधारित निष्पादन

1.35 पीएसयूज के वित्तीय परिणाम, सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशीलता परिणाम क्रमशः अनुबन्ध 2, 5 एवं 6 में वर्णित हैं। पीएसयूज के टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि के लिये कार्यरत


पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
टर्नओवर ¹⁴	16644.45	17510.67	25275.63	30152.24	32440.58	33486.33
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ¹⁵	194822.00	230949.00	265825.00	341865.00	416755.00	478160.00
टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिशतता	8.54	7.58	9.51	8.82	7.78	7.00

पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि की प्रतिशतता 3.22 एवं 44.34 के मध्य विचरित थी जबकि 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की प्रतिशतता 13.90 एवं 28.61 के मध्य विचरित थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 15.01 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 19.67 प्रतिशत से कम थी। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 से 2012-13 के दौरान पीएसयूज की संख्या में 28 से 46 तक की वृद्धि के उपरान्त भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2007-08 में 8.54 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में सात प्रतिशत हो गया था।

1.36 वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ¹⁶ अथवा उठायी गई हानियों का विवरण नीचे बार चार्ट में दिया गया है।



14 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेसों के अनुसार।

15 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2012-13 के अनुसार है।

16 आंकड़े संबंधित वर्षों के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेसों के अनुसार हैं।

कार्यरत पीएसयूज ने 2011-12 में ₹ 768.55 करोड़ के लाभ के समक्ष 2012-13 में ₹ 13710.85 करोड़ की हानि वहन की। 2012-13 में भारी हानियाँ, विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉप्स)¹⁷, जो कि पूर्व में वर्ष 2011-12 तक तैयार किये गये अपने लेखों में 'न लाभ न हानि' दर्शा रहे थे, द्वारा अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों में हानि दर्शाये जाने के कारण थी। 46 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 18¹⁸ पीएसयूज ने ₹ 1071.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 26¹⁹ पीएसयूज ने ₹ 14782.25 करोड़ की हानि वहन की, एक²⁰ पीएसयू को न लाभ न हानि थी जबकि एक²¹ पीएसयू को इसके प्रारम्भ होने से इसका प्रथम लेखा अभी प्रस्तुत करना है। साथ ही, 46 पीएसयूज में से 15²¹ पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2012-13 में समामेलित हुये थे, ने 2012-13 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी।

1.37 उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 615.83 करोड़) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 271.39 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे जबकि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि)(₹ 6178.90 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि)(₹ 4161.23 करोड़) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) (₹ 3904.73 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

हानियों के कारण

1.38 पीएसयूज की हानियाँ मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजना के कार्यान्वयन, क्रियाकलापों के संचालन एवं निगरानी में कमियों के कारण हैं। सीएजी के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयूज ने ₹ 96.67 करोड़ की हानि उठायी जो कि बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण योग्य थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
शुद्ध लाभ (हानि)	(548.14)	768.55	(13710.85)	(13490.44)
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रण योग्य हानियाँ	111.34	138.11	96.67	346.12
निष्कल निवेश	120.55	शून्य	शून्य	120.55

1.39 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ पीएसयूज के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियंत्रण योग्य हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि बेहतर प्रबंधन के द्वारा हानियाँ कम की जा सकती हैं।

17 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

18 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु अल्प लाभ/हानि दर्शाया था।

19 राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड।

20 कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड।

21 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 32 व 33 पर वर्णित पीएसयूज।

पीएसयूज अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं यदि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। उपर्युक्त स्थिति पीएसयूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता वो इंगित करती है।

1.40 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण ²²	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल ²³ (प्रतिशत)	6.00	5.82	2.89	5.64	8.09	- 16.32
ऋण	15808.26	20955.24	26437.80	36260.08	45976.15	53503.45
टर्नओवर ²⁴	16644.45	17510.67	25275.63	30152.24	32440.58	33486.33
ऋण /टर्नओवर अनुपात	0.95:1	1.20:1	1.05:1	1.20:1	1.42:1	1.60:1
ब्याज अदायगी ²⁴	1338.95	1599.84	2374.73	3551.29	3681.11	7864.69
संचित लाभ (हानियाँ) ²⁴	117.98	364.89	(1343.22)	(2066.69)	(1590.48)	(50951.85)

1.41 पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज के टर्नओवर ने 15.01 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की। तथापि ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 27.61 प्रतिशत थी जो यह इंगित करती है कि टर्नओवर की तुलना में ऋण अधिक तीव्र गति से बढ़ रहे थे। ऋणों के टर्नओवर से अनुपात में 2007-08 में 0.95:1 से 2012-13 में 1.60:1 की वृद्धि पीएसयूज की ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि को इंगित करती है।

1.42 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का निर्धारण किया (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर पश्चात् लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 18 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 1071.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ²⁵ पीएसयूज ने ₹ 63.86 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि राज्य सरकार द्वारा सभी पीएसयूज में योगदान की गयी अंश पूँजी का 0.40 प्रतिशत था। लाभांश घोषित करने वाले आठ पीएसयूज में से, तीन²⁶ पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो²⁷ पीएसयूज ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया। दस²⁸ पीएसयूज, जिन्होंने लाभ अर्जित किया, ने संवित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया था।

22 वर्ष 2012-13 की स्थिति, दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक उपलब्ध करवायी गयी नवीनतम सूचनाओं के अनुसार है।

23 वर्ष 2011-12 तक नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ + कार्यशील पूँजी) द्वारा की गई। वर्ष 2012-13 के लिये नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शेयरधारक निधि + दीर्घकालीन ऋण) द्वारा की गई।

24 अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

25 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-1, 5, 6, 9, 10, 11, 28 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

26 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-6, 11 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

27 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-5 एवं 10 पर वर्णित पीएसयूज।

28 अनुबन्ध-2 के क्र.सं. क-2, 3, 7, 30, 32, 34, 39, 40, 42 एवं ब-1 पर वर्णित पीएसयूज।

अकार्यरत पीएसयूज

1.43 31 मार्च 2013 को दो अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें पूँजी (₹ 8.89 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 3.36 करोड़) सहित कुल निवेश ₹ 12.25 करोड़ था। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के दो वर्ष के लेखे बकाया थे।

1.44 पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	4	4	3	3	2

वर्ष 2012-13 के दौरान एक पीएसयू (हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड) का राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के साथ एकीकरण हुआ था।

1.45 इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। सरकार दो अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

पीएसयूज की आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1.46 अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक 41 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 56 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 28 कम्पनियों के 39 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	27.97	4	496.05	5	30.01
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.99	1	62.24	2	7.60
3.	हानि में वृद्धि	10	11669.26	4	8.01	12	2131.55
4.	हानि में कमी	3	37.21	1	0.68	2	4.00
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	0.30	10	29.25	2	2.57
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	-	-	4	1293.47	15	19411.76

1.47 वर्ष 2012-13 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 22 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, 11 लेखों पर प्रतिकूल²⁹ प्रमाण-पत्र एवं दो लेखों पर अस्वीकृति³⁰ दी। पीएसयूज लेखांकन मानकों (एएस) की अनुपालना में कमजोर रहे, चूंकि 27 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा

29 लेखे सत्य एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

30 लेखापरीक्षक लेखों पर धारणा बनाने में असमर्थ हैं।

इंगित अनुपालना नहीं करने के 111 मामले थे। इसके अतिरिक्त सीएजी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के वर्ष 2010-11 के लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया। सीएजी एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वीं गई टिप्पणियों के परिणामस्वरूप आरआरवीयूएनएल की शुद्ध हानि ₹ 41.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 107.90 करोड़ हो गई।

1.48 कम्पनियों के लेखों के संबंध में सीएजी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2011-12)

- कम्पनी ने छबड़ा तापीय विद्युत केन्द्र (सीटीपीपी) से भीलवाड़ा 400केवी प्रसारण लाईन के सीटीपीपी से दहरा ग्रिड उपकेन्द्र खण्ड का प्रसारण लाईन आवेशित किये जाने की तिथि से पूँजीकरण नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, 'पूर्वावधि व्यय' ₹ 54.98 करोड़ से कम दर्शाये गये थे एवं 'स्थाई सम्पत्तियों' के साथ-साथ 'मूल्यहास' क्रमशः ₹ 53.28 करोड़ व ₹ 1.70 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। परिणामस्वरूप, 'संचित हानियाँ' ₹ 53.28 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011-12)

- विद्युत शुल्क (ईडी) के पेटे राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 55.35 करोड़, जिनको कि कम्पनी ने ईडी की वास्तविक प्राप्ति के रथान पर राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर लेखांकित किया, 'अर्थ-साहाय्य/प्राप्त अनुदान' में सम्मिलित थे। कम्पनी ने ₹ 16.92 करोड़ की ईडी को 'अन्य चालू दायित्व' शीर्ष के तहत राजस्थान सरकार को देय दर्शाया था। परिणामस्वरूप 'अन्य चालू दायित्व' एवं 'अन्य संचालन आय' क्रमशः ₹ 16.92 करोड़ एवं ₹ 38.43 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। वर्ष के लिये हानि भी ₹ 38.43 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011-12)

- वास्तविक आधार पर विद्युत क्रय की बिलिंग के समायोजन पर जोविविनिलि एवं अविविनिलि को देय राशि का कम प्रावधान किये जाने के कारण 'विद्युत का क्रय' ₹ 10.31 करोड़ से कम दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'चालू दायित्व' एवं हानि ₹ 10.31 करोड़ से कम दर्शाये गये थे।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011-12)

- विद्युत शुल्क (ईडी) के पेटे राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 54.80 करोड़, जिनको कि कम्पनी ने ईडी की वास्तविक प्राप्ति के रथान पर राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर लेखांकित किया, 'अर्थ-साहाय्य/प्राप्त अनुदान' में सम्मिलित थे। कम्पनी ने 'चालू दायित्व' शीर्ष के तहत राजस्थान सरकार को ईडी (₹ 16.66 करोड़) देय भी दर्शाया था। इस प्रकार 'चालू सम्पत्तियाँ' ₹ 54.80 करोड़ से अधिक दर्शाई गई थी। परिणामस्वरूप 'चालू दायित्व' एवं 'अन्य संचालन आय' क्रमशः ₹ 16.66 करोड़ एवं ₹ 38.14 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। वर्ष के लिये हानि भी ₹ 38.14 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

1.49 इसी प्रकार, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने 2012-13 के लेखे (30 सितम्बर 2013 तक) महालेखाकार को अप्रेषित किये। इनमें से, एक सांविधिक निगम का लेखा, एकमात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा से संबंधित था। शेष दो लेखों का पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	63.83	1	31.19
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.59	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	2	116.04	1	1071.47	-	-
4.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	78.25	1	48.04	-	-
5.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	1	1.02	-	-

1.50 वर्ष 2012-13 में प्राप्त दो लेखों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोनों लेखों के लिये मर्यादित प्रमाण-पत्र दिये।

1.51 यद्यपि वर्ष 2012-13 के लिये वार्षिक लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2013 तक प्रगति पर थी, सांविधिक निगमों के वर्ष 2011-12 के लेखों के संबंध में, जिनको 2012-13 में अंतिम रूप दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2011-12)

- एकच्यूएरीयल मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार ग्रेच्युटि व पेंशन योगदान के पेटे प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 'निगम कर्मचारी कोष के लिये ग्रेच्युटि व पेंशन योगदान हेतु प्रावधान' ₹ 822.18 करोड़ से कम दर्शाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये 'कल्याण व सेवा-निवृत्ति व्यय' एवं शुद्ध हानियाँ ₹ 822.18 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।
- परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित चेसिस की लागत की उपेक्षा कर विशेष पथ कर (एसआरटी) के पेटे दायित्व का कम प्रावधान किये जाने के कारण सरकारी लेनदार ₹ 127.51 करोड़ से कम दर्शाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप अनुज्ञापत्र व कर के साथ-साथ शुद्ध हानि ₹ 127.51 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

राजस्थान वित्त निगम (2011-12)

- हमारी टिप्पणियों के कारण, लेखों में दर्शाया गया ₹ 5.88 करोड़ का कर पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 12.09 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया था। अतः लेखे सत्य एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाते थे।

1.52 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(ए) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को लेखापरीक्षा की गयी कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सम्मिलित है, पर एक विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करनी होती है

जिनमें सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कार्यरत कम्पनियों के 56 वार्षिक लेखों, जो कि महालेखाकार को अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान अग्रेषित किये गये थे, पर की गई मुख्य टिप्पणियों का उदाहरणार्थ संग्रह नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी टिप्पणियों की प्रकृति	कार्यरत कम्पनियों की संख्या जहाँ टिप्पणियाँ की गई थीं		अनुबन्ध-2 के अनुसार कार्यरत कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
		लेखों का वर्ष	लेखों की संख्या	
1.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का अभाव	2009-10	1	क-19
		2010-11	5	क-14, 19, 21, 22, व 27
		2011-12	11	क-3, 14, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 39, 41 व 43
		2012-13	11	क-2, 3, 5, 10, 11, 14, 21, 28, 31, 32 व 43
2.	स्थायी सम्पत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण व स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले उचित अभिलेखों के संधारण का अभाव	2009-10	1	क-19
		2010-11	5	क-14, 19, 21, 22, व 27
		2011-12	7	क-14, 21, 22, 26, 28, 31 व 40
		2012-13	8	क-2, 5, 10, 14, 21, 28, 31 व 32
3.	वस्तुओं, स्थायी सम्पत्ति के क्रय एवं माल के विक्रय हेतु कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया	2009-10	1	क-19
		2010-11	5	क-14, 19, 21, 22, व 27
		2011-12	9	क-3, 14, 21, 22, 26, 31, 37, 40 व 43
		2012-13	10	क-2, 3, 5, 11, 14, 21, 32, 35, 37 व 43
4.	कम्पनी जिनकी पंजीयन अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है, की संचित हानियाँ वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी निवल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत से कम नहीं हैं	2010-11	3	क-14, 21 व 22
		2011-12	9	क-3, 14, 21, 22, 26, 31, 40, 41 व 43
		2012-13	12	क-2, 3, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 31, 35 व 43
5.	कम्पनी जिनकी पंजीयन अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है, ने वित्तीय वर्ष में नकद हानियाँ वहन की थीं	2010-11	3	क-14, 21 व 22
		2011-12	7	क-3, 14, 21, 22, 26, 31 व 43
		2012-13	8	क-2, 14, 18, 21, 23, 31, 35 व 43

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर वसूलियाँ

1.53 वर्ष 2012-13 में औद्योगिक लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न पीएसयूज के प्रबंधन को ₹ 49.13 करोड़ की वसूलियाँ इंगित की गयी थीं, जिसमें से ₹ 39.50 करोड़ की वसूलियाँ पीएसयूज द्वारा स्वीकार की गयी थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9.40 करोड़ की राशि वसूल की गयी थी।

पीएसयूज का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.54 2012-13 के दौरान एक पीएसयू शेखावाटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड का निजीकरण हुआ था।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.55 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) का गठन जनवरी 2000 में राज्य में विद्युत दरों में विवेकीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण से संबंधित मामलों में सलाह देने तथा अनुज्ञा-पत्र जारी करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2012-13 में आरईआरसी ने 57 आदेश (21 वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर एवं 36 अन्य मुद्दों पर) जारी किये।

1.56 मार्च 2001 में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मध्य, ऊर्जा क्षेत्र में चिन्हित लक्ष्यों के साथ सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने हेतु एक संयुक्त प्रतिबद्धता के लिये, एक मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक प्राप्त की गयी प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

क्र. सं.	सूचक	मार्च 2013 तक उपलब्धियाँ	
1.	प्रसारण एवं वितरण हानियों में कमी	2008-09 तक 20 प्रतिशत	कम्पनी का नाम
			जेवीवीएनएल
			23.64
			एवीवीएनएल
2.	सभी 11 केवी वितरण फीडरों में 100 प्रतिशत मीटरिंग	सितम्बर 2001	कम्पनी का नाम
			11 केवी फीडर जिनके मीटर लगाने थे
			जेवीवीएनएल
			5370 4579 85.27
3.	सभी गाँवों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण	2005 तक 41353 गाँव	एवीवीएनएल
			5803 4761 82.04
			जेडीवीवीएनएल
4.	सभी उपभोक्ताओं के यहाँ 100 प्रतिशत मीटरिंग	30 जून 2002	40202 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था (2001 की जनगणना के अनुसार) जो कि 97.22 प्रतिशत था।
			किसी भी श्रेणी में कोई कनेक्शन मीटर के बिना नहीं दिया जा रहा है। सभी फ्लेट रेट कृषि कनेक्शनों को मीटरयुक्त श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है।
5.	राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी)		
	(1) एसईआरसी की स्थापना	-	जनवरी 2000 में आरईआरसी का गठन किया गया था।
	(2) एसईआरसी द्वारा वर्ष के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों को लागू करना	-	एक टैरिफ आदेश 8 अगस्त 2012 को जारी किया गया एवं 10 अगस्त 2012 से लागू किया गया।
	सामान्य		
6.	एमओयू की निगरानी	-	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एसई (योजना) द्वारा निगरानी की जा रही थी एवं अंतिम प्रतिवेदन मार्च 2012 में प्रेषित किया गया था।